5917/459/2010

संख्या:1719 / 33–3–2010–48 / 2007

प्रेषक,

आर0के0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 01, सितम्बर 2010

विषय–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू की जा चुकी हैं। अतः इन संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशियों के उपभोग के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण करने की अनुमति प्रदान करते हैं:–

1–पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूलाः–

1.1– कुल धनराशि का बंटवारा संबंधित जनपद की जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य 20:10:70 के अनुपात में किया जाएगा अर्थात् जनपद स्तर पर उपलब्ध कुल संकमित धनराशि का 20 प्रतिशत भाग जिला पचायत, 10 प्रतिशत भाग क्षेत्र पंचायतों तथा 70 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित किया जाएगा।

1.2– उपरोक्तानुसार क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का बंटवारा क्षेत्र पंचायतों के मध्य 80:20 के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। इस फार्मूले में 80 प्रतिशत कुल जनसंख्या का तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति का जनसंख्या का भार होगा।

1.3– जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित राशि का बंटवारा जनपद की ग्राम पंचायतों के मध्य 80:20 के फार्मूले को उपरोक्तानुसार अपनाते हुए किया जाएगा।

1.4– जिला पंचायत द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सड़कों तथा परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि व्यय की गयी है तथा अपने सभी कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया गया है, उपलब्ध कराने पर ही राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संक्रमण की जाने वाली राशि की द्वितीय किश्त वित्त विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

2–धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तः–

2.1– ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रखरखाव को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन हेतु संक्रमण की धनराशि को ग्राम पंचायतों की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रखरखाव के लिए उपभोग में लाया जाएगा। परिसम्पत्तियों से संबंधित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अद्यावधिक किया जाएगा। अन्तरण की धनराशि से पंचायतें अपनी परिसम्पत्तियों, यथा–पचायत भवनों, स्कूल भवनों, अन्य सामुदायिक भवनों, सार्वजनिक मार्गो एवं अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों का रखरखाव करने में सक्षम होंगी। ग्राम पंचायतें आबंटित धनराशि की कार्ययोजना का अनुमोदन जिला पंचायतराज अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य करायेंगी।

2.2– पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण, अध्ययन, भ्रमण तथा संकाय में प्रस्तावित अतिरिक्त पदों के वेतन आदि के लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि का एक प्रतिशत अंश पूर्व की भाँति दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत एक प्रतिशत धनराशि व्यपगत (लैप्स) या व्यावर्तित (डाइवर्ट) नहीं होगी।

2.3– ग्राम पंचायतों में लैम्पपोस्टों आदि के रख–रखाव के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 2255/33–3–2005–100(18)/2002 दिनांक 23.6.2005 द्वारा पूर्व में लिए गये निर्णय के क्रम में संक्रमित की गयी धनराशि में से ग्राम पंचायतें लैम्पपोस्टों के रख–रखाव हेतु धनराशि व्यय कर सकेंगी। साथ ही डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में स्थापित सोडियम लाइट के अनुरक्षण एंव रख–रखाव हेतु भी शासनादेश संख्याः1310/33–3–2010–54/2010 दिनांक 9 जून 2010 के अनुसार ग्राम पंचायतें संक्रमित धनराशि में से व्यय कर सकेंगी। ग्राम पंचायतें उक्त धनराशि का व्यय जिला पंचायत राज अधिकारी से कार्ययोजना का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य करायेंगी ।

2.4– क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के आधे भाग तक, यथाआवश्यकता, क्षेत्र पंचायतों को स्वयं की एवं उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्तियों यथास्थिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय ,कृषि रक्षा केन्द्र, बीज विपणन गोदाम आदि के मरम्मत और रख–रखाव पर अवश्य व्यय किया जाये। शेष आधी धनराशि का उपयोग एक से अधिक ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने वाले पूर्व में हुए विकास कार्यों/सृजित सम्पत्तियों के रख–रखाव तथा इसी प्रकार के नये निर्माण कार्यों पर किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतें आबंटित धनराशि से कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन एवं कार्ययोजना जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगी।

2.5– क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित होने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि इस धनराशि का उपयोग शासन की गाइडलाइन्स के अनुसार निर्धारित मदों पर ही किया जाए और सड़कों के निर्माण कार्य पर विशेष निगरानी रखी जाये।

2.6– क्षेत्र पंचायतों द्वारा संक्रमित धनराशि के व्यय पर निरन्तर नियंत्रण रखा जाये ताकि निर्धारित गाइडलाइन्स से विचलन न हो। साथ ही, विचलन करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था की जाये तथा अनुश्रवण पद्धति को सुदृढ़ किया जाये।

2.7– जिला पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का कम से कम 10 प्रतिशत भाग सम्पत्तियों (सड़कों सहित) के अनुरक्षण पर व्यय किया जायगा और इस हेतु प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा संक्रमित धनराशि का 10 प्रतिशत अंश अनुरक्षण हेतु आरक्षित रखा जाय।

2.8– जिला पंचायत के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के कर्मियों के पेंशन आनुतोषिक व्यय के भुगतान हेतु गठित परिक्रमी निधि में जिला पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली कुल वार्षिक धनराशि का एक प्रतिशत अंश राज्य स्तर पर वित्त विभाग द्वारा काटकर इस निधि में अंतरित किया जाएगा।

2.9– तृतीय राज्य वित्त अयोग द्वारा जिला पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु संस्तुति संख्या–210 के अनुसार जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन व्यय के लिए वर्ष 2005–06 के आधार वर्ष पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करते हुए अगले 05 वर्षों के लिए रू0 388.88 करोड़ की आवश्यकता होगी, इसलिए राज्य वित्त आयोग की इतनी धनराशि को इस मद हेतु इस प्रकार से नियत कर दिया जाए कि जिला पंचायत उक्त आवंटित धनराशि को केवल वेतन आदि पर व्यय करने को बाध्य हो। अतएव आयोग की संस्तुति संख्या–210 पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी।

2.10– पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं अथवा सम्पादित किये जा रहे भौतिक कार्य–कलापों का सत्यापन आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार एक वृहद योजना बनाकर सुनिश्चित किया जाए और सत्यापन के परिणाम से जनप्रतिनिधियों आदि को अवगत कराया जाए।

2.11– त्रिस्तरीय पंचायतों के पक्ष में राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशियों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र पंचायतीराज विभाग द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 के माध्यम से अनिवार्यतः प्राप्त किया जायेगा।

3– त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को सम्मान एवं सुविधायें :–

इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:1113/33–2–2006–34 जी/01 टी0सी0–11 दिनांक 20 मार्च, 2006 एवं शासनादेश सं0:6368/33–2–2006–34 जी/2001टी0सी0–11 दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 प्रभावी रहेगा । पंचायतों के

पदाधिकारियों को सुविधायें प्रदान किए जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत क्रमशः अपनी गॉव निधि, क्षेत्र निधि तथा जिला निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संकमित की जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित हैं, में से वहन कर सकेंगी तथा इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

4— पूर्व में निर्गत उक्त विषयक समस्त शासनादेश तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। कृपया राज्य वित्त आयोग की संस्ततियों के अन्तर्गत संकमित की जा रही धनराशियों के उपभोग के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5— ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 एफ.सी.—यू.ओ.—32/दस—2010 दिनांक 27.08.2010 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

आर0 के0 शर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1719 (1)/33—3—2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।
3— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4— स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
5— निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11— समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
12— समस्त जिला कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2 उत्तर प्रदेश शासन।
14— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन।
15— वित्त (संसाधन) वित्त आयोग अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
16— पंचायती राज अनुभाग—1/2

आज्ञा से,

(डी0 एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।